संख्या–वे0आ0–2–1119 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) कार्मिक विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा कार्मिक विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के जिन पदों पर उत्तर प्रदेश सचिवालय से समकक्षता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य है उन पदों पर उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत दी गयी संस्तुतियों के अनुरूप व्यवस्था लागू होगी। अतः कोई संस्तुति अपेक्षित नही है।

(2) कार्मिक विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

....2 /

संख्या–वे0आ0–2–1119 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।